न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम. के. सिंह,
सदस्य.

प्रकरण क्रमांक निगरानी 882–दो/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–11–13 पारित द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, जिला कटनी म.प्र. प्रकरण क्रमांक 17/ब–103/2012–13.

———

मैसर्स कटनी मिनरल्स प्रा0 लि0 द्वारा
श्री पवन कुमार मित्तल पुत्र स्व. श्री सी.आर. मित्तल,
निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलानी,
कटनी म.प्र. ——— आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा
उप पंजीयक, कटनी ——— अनावेदक

———

श्री राजेन्द्र जैन, अधिवक्ता, आवेदक ।
श्री डी. के. शुक्ला, अधिवक्ता, अनावेदक ।

———

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 06 जुलाई 2015 को पारित)

———

यह निगरानी कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, जिला कटनी द्वारा प्रकरण क्रमांक 17/ब–103/12–13 में पारित आदेश दिनांक 27–11–13 के विरूद्ध भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (जिसे आगे स्टाम्प एक्ट कहा जायेगा) की धारा 56 के तहत पेश की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक के हक में ग्राम पड़वार तहसील बहोरीबंद जिला कटनी पटवारी हल्का क्रमांक 62/35 में तीन वर्ष की अवधि के लिए खनिज बॉक्साइट का पट्टा दिया गया जिसका पंजीयन दिनांक 7–3–12 को कराया गया । महालेखाकार के ऑडिट दल द्वारा उपरोक्त लीज डीड में मुद्रांक शुल्क की गणना में आपत्ति लिए जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उप पंजीयक, कटनी के प्रतिवेदन के आधार पर आलोच्य प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर आलोच्य

आदेश द्वारा कम मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क रूपये 1180981/– जमा करने के निर्देश आवेदक को दिए हैं । अधीनस्थ न्यायालय के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विपरीत है । स्टाम्प शुल्क की गणना जिस प्रकार की गई है वह पूर्णत गलत है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने गणना तीस वर्ष के औसत के आधार पर की है जबकि गणना खनिज की उपलब्धता के आधार पर की जाना थी जो उप पंजीयक द्वारा की गई है । उप पंजीयक द्वारा लीज डीड के अनुसार जो खनिज किया जाना है उस पर उप पंजीयक द्वारा स्टाम्प डयूटी निर्धारित की गई है जो उचित है । अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से अभिलेख के विपरीत राशि अधिरोपित की है ।

यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानों को अनदेखा कर प्रश्नाधीन आदेश पारित किया गया है क्योंकि खनिज योजना के प्रस्ताव अनुसार आवंटित स्थल पर कुल 874713 मीट्रिक टन खनिज है जिसे वार्षिक 7500 मीट्रिक टन के हिसाब से उत्खनन किया जाना माना है जिसके रहते उक्त कुल खनिज मात्र 16 वर्ष के लिए ही है । उक्त तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया । यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सुस्थापित सिद्धांतों पर कतई विचार नहीं किया है । उक्त आधारों पर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए आदेश पारित किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है अतः उसे स्थिर रखा जाना चाहिए ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । इस प्रकरण में यह निर्विवादित है कि अपीलांट को प्रश्नाधीन लीज 30 वर्ष के लिए दी गई है । प्रकरण में महालेखाकार द्वारा यह आपत्ति ली गई है कि लीज 30 वर्ष के लिए है अतः 30 वर्ष के आधार पर ही स्टाम्प शुल्क वसूली योग्य है, जो नहीं ली गई है । उक्त आपत्ति के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक को नोटिस दिया गया । आवेदक ने जो गणना पेश की है उसको न मानने

के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय ने स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है, जो उचित है क्योंकि खनन जो 30 वर्ष के लिए है उसका मूल्य लगाकर उस पर स्टाम्प शुल्क लिया जाना विधि अनुसार है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर